



Neutral Citation No. - 2026:AHC:1142

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 18965 वर्ष 2022

श्याम नारायण पाठक

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के लिए अधिवक्ता	:	अरविंद कुमार वर्मा, महेश शर्मा
प्रतिवादी(गण) के लिए अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री महेश शर्मा और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव को सुना।

2. चूंकि प्रति-शपथपत्र और प्रत्युत्तर-शपथपत्र का आदान-प्रदान हो चुका है और याचिका पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर निर्णय लिया जाना है, इसलिए पक्षों की सहमति से, रिट याचिका पर आरंभिक स्तर पर निर्णय लिया जा रहा है।

3. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि रिट याचिकाकर्ता को 22.04.1983 को सामायिक संग्रह अमीन के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने उत्तर प्रदेश संग्रह अमीन सेवा नियमावली, 1974 के अंतर्गत संग्रह अमीन के पद पर नियमितीकरण के लिए दावा किया। रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, उनसे कनिष्ठ रामानंद यादव को 17.01.1992 को नियमितीकरण प्रदान किया गया था, हालांकि, रिट याचिकाकर्ता की सेवाएं 04.10.2004 को नियमित हुईं, जबकि याचिकाकर्ता 17.01.1992 से इसके हकदार थे। अन्य कनिष्ठ संग्रह अमीनों की सेवाएं भी नियमित कर दी गईं, और अग्रेतर रामानंद यादव और चंद्र बहादुर यादव को नियत तिथि से लाभ नहीं दिया गया। उन्होंने रिट याचिका संख्या 23804 वर्ष 2000 को दायर किया, जिसका निर्णय 17.10.2001 को हुआ। इसके विरुद्ध अंतर-न्यायालय अपील दायर की गई, जिसे खारिज कर दिया गया। चूंकि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



समन्वय पीठ द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया गया, इसलिए अवमानना याचिका भी दायर की गई। रिट याचिकाकर्ता का दावा है कि उन्होंने रिट याचिका संख्या 37040 वर्ष 2016 दायर की थी, जिसे रिट याचिका संख्या 65644 वर्ष 2011 के निर्णय के अनुसार स्वीकार कर लिया गया था। प्रतिवादी संख्या 2, जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया ने 2.07.2006 को रिट याचिकाकर्ता को नियमितीकरण के संबंध में लाभ प्रदान किया और उप-मंडल मजिस्ट्रेट ने 8.07.2016 को परिणामी आदेश पारित किया। हालांकि, 30.11.2011 को रिट याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त हो गए। हालांकि, सेवानिवृत्ति के बाद, जब याचिकाकर्ता ने किसी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया, तो उन्होंने रिट याचिका संख्या 5427 वर्ष 2022 दायर की, जिसका निपटारा करते हुए प्रतिवादियों को दावे पर विचार करने का निर्देश दिया गया। हालांकि, 30.09.2022 को 22,79,984/- रुपये की वसूली से संबंधित एक आदेश पारित किया गया।

4. इसी को प्रश्नगत करते हुए रिट याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका दायर की है।

5. इस न्यायालय ने 25.11.2022 को रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किए:

“ याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य प्रतिवादियों के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता संग्रह अमीन के पद पर कार्यरत है और याचिकाकर्ता से कनिष्ठ संग्रह अमीन को वेतनमान और परिणामी लाभ दिए जा चुके हैं, जबकि याचिकाकर्ता को कोई भी परिणामी लाभ नहीं दिया गया है। इसलिए, उन्होंने रिट याचिका संख्या 37040 वर्ष 2016 दायर करके इस न्यायालय को संपर्क किया, जिसका निपटारा दिनांक 18.02.2016 के आदेश द्वारा किया गया और याचिकाकर्ता को चंद्र भूषण यादव और रामानंद यादव के समान परिणामी लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया गया। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 18.02.2016 के अनुपालन में, जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया-प्रतिवादी संख्या 2 ने दिनांक 02.07.2016 को एक आदेश पारित किया, जिसमें याचिकाकर्ता को कुछ शर्तों के साथ वेतन आदि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि प्रतिवादी संख्या 2, उप-मंडल मजिस्ट्रेट, सलेमपुर, देवरिया द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसरण में प्रतिवादी संख्या 4 ने दिनांक 08.07.2016 को वेतनमान निर्धारित करने का आदेश पारित किया है और याचिकाकर्ता को भुगतान भी कर दिया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रतिवादी संख्या 4 ने दिनांक 30.09.2022 को आक्षेपित आदेश पारित किया है, जिसमें यह संप्रेक्षित किया गया है कि उप-मंडल मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दिनांक 08.07.2016 का पूर्व आदेश सही नहीं है क्योंकि उस समय वेतनमान गलत तरीके से निर्धारित किया गया था और याचिकाकर्ता के विरुद्ध 22,79,984/- रुपये की वसूली की देयता निर्धारित की गई है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दो आधारों पर आक्षेपित आदेश को चुनौती दी है। उन्होंने पहला तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 4 को आक्षेपित आदेश दिनांक 30.09.2022 के माध्यम से दिनांक 08.07.2016 के पूर्ववर्ती आदेश की समीक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है और दूसरा, स्टेट ऑफ पंजाब और अन्य बनाम रफीक मसीह: 2015 (4) एससीसी 334 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में, वेतनमान के गलत निर्धारण के मामले में, यदि कोई भुगतान किया जाता है, तो सेवानिवृत्ति के बाद कोई वसूली नहीं की जा सकती है, इसलिए आक्षेपित आदेश दोनों आधारों पर गलत है और सेवानिवृत्ति के बाद के बकाया का भुगतान करने के निर्देश के साथ रद्द किए जाने योग्य है।

विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने विरोध तो किया, लेकिन याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए कानूनी और तथ्यात्मक तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

इस मामले पर विचार करने की आवश्यकता है।

प्रतिवादियों को छह सप्ताह के भीतर प्रतिवाद शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। इसके बाद दो सप्ताह के भीतर प्रत्युत्तर शपथपत्र दाखिल किया जा सकता है।

रिट ए संख्या 15883 वर्ष 2022 के साथ सूचीबद्ध और सहबद्ध करें ।

इस न्यायालय के अगले आदेश तक, प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2022 का प्रभाव और संचालन स्थगित रहेगा।

प्रतिवादी संख्या 4 को याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति के बाद के बकाया का भुगतान करने या उसी समय सीमा के भीतर शपथपत्र दाखिल करके कारण बताने के लिए अंतरिम परमादेश जारी किया जाए।”

6. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि रिट याचिकाकर्ता का मामला निर्णय अंतर्गत **रिट याचिका संख्या 15301 वर्ष 2022 (राम किशोर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और 3 अन्य) निर्णीत दिनांक 16.05.2025, से आच्छादित है। उनका कहना है कि धोखाधड़ी, छिपाव या दुर्यपदेशन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता और इसके अलावा पूरी कार्रवाई रिट याचिकाकर्ता की पीठ पीछे एकपक्षीय की गई है।

7. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत आदेश चाहे जो भी हो, उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और नए आदेश पारित होने के बाद उस संबंध में परिणामी लाभों का भुगतान किया जाना चाहिए।

8. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेखों का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया है।

9. तथ्य विवादित नहीं हैं। यह विवादित नहीं है कि रिट याचिकाकर्ता 30.11.2021 को सेवानिवृत्त हुए थे, इससे पहले उनकी सेवाओं को नियमित किया गया था, हालांकि, बाद में एक प्रतिवाद शपथपत्र दायर किया गया और उसके बाद पेंशन का भुगतान किया गया है और याचिका पर निर्णय के बाद एसीपी का भुगतान किया जाना है।

10. **राम किशोर यादव (उपरोक्त)** में निम्नलिखित आदेशों को इस प्रकार संप्रेक्षित किया गया था:

"1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष सिंह और राज्य के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।

2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने दिनांक 13.07.2022 के आदेश को चुनौती दी है, जिसके अंतर्गत न केवल याचिकाकर्ता के वेतन निर्धारण में 1992 से संशोधन किया गया है, बल्कि वेतन निर्धारण के लिए याचिकाकर्ता को किए गए अधिक भुगतान की वसूली का भी निर्देश दिया गया है। अतः दिनांक 13.07.2022 के आदेश के अंतर्गत 12,64,917/- रुपये की कटौती का परिणामी आदेश भी चुनौती के अधीन है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता, जिसे प्रारंभ में 3 मार्च 1976 को सामयिक संग्रह अमीन के रूप में नियुक्त किया गया था, को संबंधित सेवा नियमावली के अंतर्गत 24 अगस्त 2006 को नियमित स्थायी नियुक्ति दी गई थी ताकि याचिकाकर्ता को 17 जनवरी 1992 से लाभ दिया जा सके, जैसा कि इसी तरह के मामलों में रिट याचिका संख्या 4668 वर्ष 2017 के माध्यम से आदेश पारित किए गए थे, जिसका निपटारा उच्च न्यायालय के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आदेश दिनांक 31 अगस्त 2021 के अंतर्गत याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेने के निर्देश के साथ किया गया था और उक्त आदेश के अनुपालन में ही जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 6 मई 2022 को मामले का निर्णय करते हुए और सेवानिवृत्ति के बाद के बकाया के भुगतान का निर्देश देते हुए लाभ प्रदान किया गया था।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि यद्यपि याचिकाकर्ता 30.03.2017 को सेवानिवृत्त हो गया था, लेकिन नियमित वेतनमान के अनुचित आकलन के कारण सेवा लाभ और सेवानिवृत्ति लाभ विचाराधीन रहे। याचिकाकर्ता सहित समान स्थिति वाले सभी कर्मचारियों ने इस न्यायालय के समक्ष याचिका संख्या 4668 वर्ष 2017 दायर की, जिसका निपटारा दिनांक 23.08.2021 के आदेश द्वारा किया गया। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ही जिला मजिस्ट्रेट ने 16.12.2016 को सभी बकाया राशि के भुगतान का अंतिम आदेश पारित किया, जिसके फलस्वरूप उप-मंडल अधिकारी ने 20.12.2016 को एक परिणामी आदेश पारित किया। यह निवेदन किया गया है कि इसी वेतन निर्धारण के कारण अंततः वेतन का भुगतान किया गया। हालांकि, यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति पर अन्य समान स्थिति वाले कर्मचारियों के सापेक्ष अंतिम भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए उन्होंने याचिका संख्या 67258 वर्ष 2013 दायर की, जिसका निपटारा दिनांक 31.08.2021 के आदेश द्वारा किया गया था। लेकिन जब आगे कोई प्रगति नहीं हुई, तो याचिकाकर्ता और अन्य कर्मचारियों ने अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 298 वर्ष 2022 दायर की और अवमानना याचिका पर संज्ञान लेने के बाद ही आक्षेपित आदेश पारित किया गया।

5. दलील यह है कि 06.05.2022 को आदेश पारित करते समय, प्रतिवादी जिला मजिस्ट्रेट ने अधिकारियों को अंतिम बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश देते हुए आदेश पारित किया, वहीं उप-मंडल अधिकारी ने पूरी तरह से गलत तरीके से याचिकाकर्ता के वेतन को 1992 से प्रभावी रूप से पुनः निर्धारित कर दिया, यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता को चयन ग्रेड और पदोन्नति ग्रेड केवल 28.08.2006 से नियमित सेवा में शामिल होने के आधार पर दिया जाना था।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, उप-मंडल अधिकारी का आदेश दो आधारों पर चुनौती योग्य है: पहला, उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 26.04.2016 को पारित आदेश के ऊपर अपील की, जो वे नहीं कर सकते थे; और दूसरा, 2007 में जारी शासनादेश के अनुसार, कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि से 34 सप्ताह की अवधि के बाद पुनर्निर्धारण नहीं किया जा सकता था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उन्होंने सुशील कुमार सिंघल बनाम प्रमुख सचिव सिंचाई विभाग और अन्य: 2014 (16) एससीसी 444 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा जताया है, जिसमें 16.01.2007 के शासनादेश पर चर्चा और व्याख्या की गई थी।

7. आगे यह तर्क दिया गया है कि ऐसे मामले में वसूली सेवानिवृत्त कर्मचारी के सेवानिवृत्ति बकाया से नहीं की जा सकती थी, और याचिकाकर्ता तृतीय श्रेणी का कर्मचारी होने के कारण, वसूली स्टेट ऑफ पंजाब और अन्य बनाम रफीक मसीह (व्हाइट वॉशर): एआईआर 2015 सुप्रीम कोर्ट 696 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से प्रभावित थी।

8. यह भी तर्क दिया गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता ने जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पहले मामले का निर्णय करते समय अपने सेवा लाभ दावों के संबंध में कभी कोई दुर्व्यपदेशन नहीं किया था, इसलिए याचिकाकर्ता को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और अन्य बनाम जगदेव सिंह: (2016) 14 एससीसी 267 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के सिद्धांतों के आधार पर भी वसूली के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

9. याचिका का विरोध कर रहे विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने इस मामले में प्रति-शपथपत्र पर भरोसा जताते हुए वेतन पुनर्निर्धारण के अपने रुख को इस आधार पर उचित ठहराया है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया वेतन निर्धारण त्रुटिपूर्ण था और इस प्रकार उसमें दिए गए कारणों से आदेश को न्यायोचित ठहराने का प्रयास किया है। हालांकि, 16.01.2007 के शासनादेश के अंतर्गत प्रतिबंधित, 34 सप्ताह की अवधि के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारी के वेतन का नए सिरे से निर्धारण करने के प्रश्न पर विद्वान स्थायी अधिवक्ता शासनादेश में निहित प्रावधानों के साथ-साथ याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का खंडन नहीं कर सके। वे रफीक मसीह (उपरोक्त) मामले में प्रतिपादित कानूनी सिद्धांतों का भी खंडन नहीं कर सके और प्रति- शपथपत्र में किए गए किसी भी कथन से यह प्रदर्शित नहीं कर सके कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 2016 में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश पारित किए जाने और संबंधित उप-मंडल अधिकारी द्वारा पारित परिणामी आदेश के समय कथित गलत निर्धारण के कारण राशि की वापसी के लिए कोई वचन दिया था। वह अपील में बैठे उपमंडल अधिकारी द्वारा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के अतिरिक्त की गई कार्रवाई को उचित नहीं ठहरा सके, और न ही चुनौती दिए गए आदेश में निहित विवरणों से यह सिद्ध कर सके कि आदेश पारित करने से पहले या जिला



मजिस्ट्रेट द्वारा कोई अनुमोदन दिए जाने के बाद भी जिला मजिस्ट्रेट से कोई पूर्व अनुमति या अनुमोदन लिया गया था।

10. मैं पाता हूँ कि जिला मजिस्ट्रेट ने रिट याचिका संख्या 62250 वर्ष 2013 में रिट न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में अपने आदेश दिनांक 26.04.2016 के अंतर्गत मामले का अंतिम निर्णय कर लिया था और याचिकाकर्ता को वर्ष 2006 से वेतन निर्धारण का लाभ देते हुए 17.01.1992 से सेवा का लाभ दिया था। यह लाभ याचिकाकर्ता को चयन ग्रेड के लाभ के लिए प्रकल्पित रूप से दिया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि रिट याचिका संख्या 62250 वर्ष 2013 में पारित आदेश के संबंध में कोई पुनर्विचार याचिका लंबित थी, इसलिए जिला मजिस्ट्रेट ने यह आदेश भी पारित किया कि उनके द्वारा दिनांक 26.04.2025 को पारित आदेश रिट याचिका में पुनर्विचार के लिए पारित अंतिम आदेश के अधीन होगा। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित इस आदेश को अब वापस ले लिया गया है, जबकि प्रति-शपथपत्र में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है कि रिट याचिका संख्या 62250 वर्ष 2013 में पारित आदेश के संबंध में यदि कोई पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी, तो उसे कभी स्वीकार किया गया था या मामले पर पुनर्विचार करने के निर्देश के साथ निपटाया गया था।

11. अतः इन परिस्थितियों में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को अंतिम माना जाना चाहिए और मेरे विचार से, उप-मंडल मजिस्ट्रेट, जिन्होंने जिला मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांक 26.04.2016 के फलस्वरूप दिनांक 16.12.2016 को आदेश पारित किया था, याचिकाकर्ता को 17.01.1992 से अवधि की गणना करके प्रकल्पित लाभ गलत तरीके से दिए जाने के आधार पर वेतन निर्धारण में संशोधन नहीं कर सकते थे। इस प्रकार, जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लिए बिना दिनांक 13.07.2022 को आदेश पारित करना, उप-मंडल मजिस्ट्रेट, रुद्रपुर द्वारा अवज्ञा का कार्य है, जिसके लिए उन्हें न केवल फटकार लगाई जानी चाहिए बल्कि विभागीय कार्यवाही भी की जानी चाहिए। वेतन निर्धारण के मामले में जिला मजिस्ट्रेट का आदेश, जिसमें 17.01.1992 से सेवा अवधि की गणना करते हुए प्रकल्पित लाभ दिया गया था, अंतिम हो जाने के बाद, उप-मंडल अधिकारी द्वारा पारित पुनर्निर्धारण का आदेश, और वह भी याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद, स्वतः ही गलत है और इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए।

12. उपरोक्त के अतिरिक्त, दिनांक 16.01.2007 के शासनादेश और उसी की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के सुशील कुमार सिंघल मामले में दिए गए निर्णय के दृष्टिगत, 16.12.2016

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को वेतन निर्धारण हो जाने के कारण 34 सप्ताह की अवधि के बाद कोई पुनर्निर्धारण नहीं किया जा सकता था। अतः वेतन के पूर्व निर्धारण में सुधार को अमान्य माना जाता है।

13. उपमंडल अधिकारी ने आदेश पारित करने में अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया है और याचिकाकर्ता को न केवल वसूली के साथ दंडित किया गया है, बल्कि 31.03.2017 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद भी उसे न्यायालय का रुख करने के लिए बाध्य किया गया है, इसलिए वह वास्तव में ब्याज सहित धन वापसी का हकदार है।

14. रिट याचिका सफल होती है और स्वीकार की जाती है। याचिका के अनुलग्नक 14 के रूप में संलग्न उप-मंडल अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.07.2022 को रद्द किया जाता है। संबंधित प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता के उक्त आदेश के फलस्वरूप दायर किए गए अभ्यावेदन की समीक्षा करे और इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की अधिकतम दो महीने की अवधि के भीतर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करे। यदि ब्याज सहित राशि वापस नहीं की जाती है, तो संबंधित उप-मंडल अधिकारी वसूली की तिथि से लेकर वास्तविक भुगतान होने तक 18 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

15. राज्य-प्रतिवादियों के लिए यह खुला रखा गया है कि वे तत्कालीन उप-मंडल अधिकारी, रुद्रपुर से राशि वसूल कर सकते हैं, जिनके आचरण के कारण याचिकाकर्ता को इस न्यायालय में आना पड़ा और राशि ब्याज सहित वापस करने का निर्देश दिया गया है।“

11. आक्षेपित आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता कि रिट याचिकाकर्ता को नोटिस दिया गया था और अन्य पदधारियों को लाभ पहुँचाया गया था। यह ऐसा मामला भी नहीं है जिसमें रिट याचिकाकर्ता ने धोखाधड़ी, छिपाव या दुर्यपदेशन की हो। इसलिए, आक्षेपित आदेश को मान्य नहीं ठहराया जा सकता।

12. परिणामस्वरूप, रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

13. प्रतिवादी संख्या 4, उपमंडल मजिस्ट्रेट, सलेमपुर, जिला- देवरिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2022 को रद्द किया जाता है।



14. मामले को रिट याचिकाकर्ता को नोटिस देने के बाद कानून के अनुसार कड़ाई से नया आदेश पारित करने के लिए प्राधिकारी को वापस भेज दिया गया है।

15. यदि रिट याचिकाकर्ता को कोई राशि देय है, तो उसका भुगतान भी उसी अवधि के भीतर किया जाएगा।

6 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not For Legal Use.